मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या–76 /2015 दिनांक: दिसम्बर 15,2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय : रिट पिटीशन संख्या 9629(एम/बी)/2015 जुनेद अहमद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, अ0सं0–284/2015 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के सम्बन्ध में।

कृपया पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उ0प्र0 द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या–11/15 दिनांक 11–02–2015 एवं परिपत्र संख्या–17/15 दिनांक 10–03–2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आप सभी को अवगत कराया गया था कि उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा–2 में खण्ड(ख) में उपखण्ड (15) के पश्चात् (16) से (25) उपखण्ड बढ़ा दिये गये हैं, जिनके सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के विधायी अनुभाग–1 की संख्या–6/79वी0–1–15–2(क)–16–2014 दिनांक 20–01–2015 द्वारा अधिसूचना जारी करते हुये उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश–2015 जारी किया गया है। इस संशोधन अध्यादेश–2015 को सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित प्रकरणों में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। राज्य विधान मण्ड़ल के द्वितीय सत्र में उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक–2015 राज्य विधान मण्ड़ल से पारित होने के पश्चात् महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति महोदय से अनुमति हेतु आरक्षित किया गया था जिसपर अभी तक माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त नही हुयी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–213(2)(क) की व्यवस्था के दृष्टिगत उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश–2015 वर्तमान में प्रभावी नही है।

अतः उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश–2015 से आच्छादित निम्न प्रकरणों में गठित अपराध के आधार पर उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम लगाया जाना विधिक रूप से उचित नही है।

1— साहूकारी विनियम अधिनियम—1976 के अधीन दण्ड़नीय अपराध।

2— गोवध निवारण अधिनियम—1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम—1960 में उपबन्धों के उल्लघंन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यो में संलिप्तता।

3— वाणिज्यिक शोषण, बन्धुओं श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति व इसी प्रकार के कियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना।

4— विधि विरुद्ध कियाकलाप(निवारण) अधिनियम—1966 के अधीन दण्ड़नीय अपराध।

5— जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना।

6— नकली दवाओं के उत्पादन, विकय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना।

7— आयुध अधिनियम—1959 की धारा 5, 6 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला—बारूद के विनिर्माण, विकय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना।

8— भारतीय वन अधिनियम—1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम—1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिये गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना।

9— आमोद तथा पणकर अधिनियम—1979 के अधीन दण्ड़नीय अपराध।

10— राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में सम्मिलित होना।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश—2015 के प्रभावहीन होने के पश्चात् जो भी कार्यवाही आपके द्वारा की गयी हो उसे निरस्त कर दें तथा यदि प्रकरण मा0 न्यायालयों को संदर्भित कर दिया गया हो तो वहां प्रार्थना पत्र देकर उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश—2015 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की धाराओं को वापस ले लें तथा भविष्य में इस अध्यादेश के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही न करें। इस सन्दर्भ में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश की प्रति संलग्न कर अनुपालनार्थ प्रेषित की जा रही है।

11/12/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ।

2— समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

3— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रतिलिपि : पुलिस महानिरीक्षक, अपराध उ0प्र0 लखनऊ को अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।